VII लोक ऋण प्रबंध

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार और राज्य सरकारों के उधार-कार्यक्रमों को अनेक चुनौतियों जैसे उधार के आकार के बढ़ जाने तथा वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल में वृद्धि होने के बावजूद सफलतापूर्वक संपन्न किया। बैंक ने परिपक्वता की अवधि लंबी रखने, ऋण-पोर्टफोलियो के समेकन तथा द्वितीयक बाजार को अधिक चलनिधि की उपलब्धता की रणनीति जारी रखी। रोलओवर जोखिम को न्यूनतम रखने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान ऋण-पोर्टफोलियो की परिपक्वता अवधि बढ़ा दी गई, जिसके फलस्वरूप भारित लागत में मामूली-सी वृद्धि करनी पड़ी। लंबे समय की परिपक्वता वाले ऋण की बढ़ी रुचि का लाभ उठाते हुए रिज़र्व बैंक ने 2015-16 में 40 वर्षीय प्रतिभूति निर्गम करने की घोषणा की है ताकि प्रतिफल वक्र को 30 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2015-16 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यसूची मदों का निरूपण किया गया है जैसे सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप मध्यावधि ऋण प्रबंधन कार्यानीति, राज्य-उधार के लिए नियमित तिमाही कैलेंडर, राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) योजना की समीक्षा, सरकारी ऋण बाजार को गहन और व्यापक बनाने के लिए कुशल बाज़ार की आधारभूत सुविधा और निवेशकों के आधार को विस्तृत किया जाना।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 20 और 21 के अनुसार रिज़र्व बैंक का यहा दायित्व और अधिकार है कि वह भारत में केंद्र सरकार के कारोबार के संव्यवहार और उसके लोक ऋण का प्रबंधन करे। इसी प्रकार, रिज़र्व बैंक संघशासित क्षेत्र पुदुचेरि सहित सभी 29 राज्य सरकारों के ऋण-प्रबंधक के रूप में है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत रिज़र्व बैंक और सिक्किम सरकार के साथ हुए करार के अनुसार सिक्किम सरकार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का बैंकर भी है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक केंद्र तथा राज्य सरकारों को उनकी प्राप्तियों एवं भुगतान के अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार के अग्रिम को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) कहा जाता है, यह अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17 (5) के अनुसार प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक मामले में तीन महीने के भीतर वापस करना होता है।

VII.2 रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र को एक सुदृढ़, गहन, अधिक कुशल एवं समावेशी प्रणाली के रूप में परिवर्तित करने के लिए अपने स्तर पर एक मध्यावधि कार्यसूची तैयार की है। इस व्यापक कार्यसूची के अंतर्गत ऋण प्रबंधन का दृष्टिकोण, जिसका दायित्व आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को सौंपा गया है, में निम्नलिखित शामिल हैं: सुदृढ़ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एक विस्तृत ऋण प्रबंधन कार्यनीति, उधार लेने की लागत को न्यूनतम बनाना, विविध प्रकार के निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परिपक्वता अवधि को बढ़ाना, लोक ऋण का समेकन तथा रोलओवर जोखिम को सक्रिय स्विच/बाईबैक परिचालन के माध्यम से कम करना।

2014-15 की कार्यसूची और कार्यान्वयन की स्थिति

VII.3 वर्ष 2014-15 में ऋण प्रबंधन रणनीति का निम्नलिखित लक्ष्य था :

i) ऋण प्रबंधन कार्यों का समुचित तरीके से संचालन तथा भारत सरकार के बाज़ार उधार-कार्यक्रम को सहज एवं बाधारहित तरीके से कम-से-कम उधारी लागत पर सफलतापूर्वक पूरा करना;

ii) वर्ष की पहली व दूसरी छमाही में नए बांड निर्गमों, जिसमें गैर-मानक परिपक्वता वाले बांड शामिल हैं, सहित निर्गमों का उचित वितरण सुनिश्चित करना ताकि वर्ष की पहली छमाही में बहुत अधिक शोधन से बचा जा सके;

iii) भारत सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल को आसान बनाना ताकि वर्ष 2014-15 में बाईबैक / स्विच के माध्यम से शोधन के दबाव को कम किया जा सके;

iv) नीलामी संबंधी जानकारी को बाज़ार के सहभागियों एवं अन्य हितधारकों में तेजी से और बड़े पैमाने पर प्रसारण सुनिश्चित करना;

v) प्राथमिक व्यापारियों द्वारा सेमी-लिक्विड और इल्लिक्विड सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार बनाने की योजना के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) में चलनिधि को प्रोत्साहित करना; और

vi) नकदी प्रबंधन की क्षमता को बेहतर बनाना तथा राज्यों के सीएसएफ/जीआरएफ (अर्थात् समेकित ऋण-शोधन निधि/गारंटी उन्मोचन निधि) पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना।

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.4 वर्ष 2014-15 में सकल बाज़ार उधार ₹5920 बिलियन (बीई ₹6000 बिलियन) और निवल बाज़ार उधार ₹4532 बिलियन जुटाया गया, जिससे सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के 90.3 प्रतिशत को निधि प्रदान की गई, बावजूद इसके कि इसे जुटाने में अनेक चुनौतियों जिनका उल्लेख बाद में किया जाएगा, का सामना करना पड़ा था (सारणी VII.1)। 2014-15 में अपेक्षाकृत चलनिधि की स्थिति सहज थी और बाज़ार स्थिर था, इसलिए केवल तीन अवसरों पर प्राथमिक व्यापारियों को ₹53 बिलियन का दायित्व सौंपा गया जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 में 26 अवसरों पर ₹175 बिलियन की राशि का दायित्व सौंपा गया था।

VII.5 वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण-प्रबंधन परिचालनों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती यह थी कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बाजार से लिए गए उधार का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में सकल एवं निवल (अर्थात चुकौती को छोड़कर) दोनों तरह से बढ़ गया था, खासतौर से राज्य सरकार का, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक बाज़ार में ऋण-निर्गमों का आकार काफी बड़ा हो गया था। रिज़र्व बैंक ने 118 दिन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की 'ट्रेजरी बिल और एसडीएल (राज्य विकास ऋण)' अथवा जिसमें कुल 548 निर्गम थे और 41 हामीदारी नीलामियां की गईं। दूसरी चुनौती वर्ष की पहली छमाही में प्रतिफल के बढ़े हुए स्तर की थी और जब उधार-कार्यक्रम को लाया गया तब उधार की लागत की चुनौती पैदा हो गई। इस प्रकार की परीक्षा की घड़ी में, ऋण-प्रबंधन की प्रभावशीलता को इस बात से मापा जा सकता हैं कि परिपक्वता अवधि में वृद्धि के बावजूद वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत प्रतिफल में 12 आधार अंक की साधारण वृद्धि करके 8.51 प्रतिशत कर दिया गया था। तीसरी चुनौती यह थी कि रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान पुनः निर्गम के माध्यम से ऋण-समेकन की प्रक्रिया जारी रखी और बाईबैक/स्विचेस के माध्यम से शोधन के दबाव को आसान बना दिया तथा सरकारी ऋण के परिपक्वता प्रोफाइल की अवधि बढ़ा दी जिससे रोलओवर जोखिम को कम किया गया।

VII.6 हालांकि, वर्ष के दौरान सरकारी दिनांकित प्रतिभूति पर प्रतिफल शुरुआती महीने के उच्च स्तर से धीरे-धीरे घट गया (चार्ट VII.1), किंतु 2014-15 के दौरान जारी दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रहा। लंबी अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियों के अधिक निर्गमों से बकाया ऋण की औसत परिपक्वता कम हो गई है (सारणी VII.2)।

VII.7 सरकारी ऋण के समेकन के हिस्से के रूप में, 95 प्रतिशत प्रतिभूतियों को पुनः जारी किया गया। बाईबैक/स्विचेज प्रक्रिया संचालित की गई ताकि भारत सरकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता

सारणी VII.1 : केंद्र सरकार की सकल और निवल बाज़ार उधारियां #

(₹ बिलियन)

मद	2004-05	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
1	2	3	4	5	6
निवल उधारियां	460	4,674	4,685	4,532	1,757 (4,564)
सकल उधारियां	803	5,580	5,635	5,920	2,670 (6,000)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजट अनुमान हैं। 2. आंकड़ो में बाई बैक/स्विचेस शामिल नहीं है।
#: दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निर्गम; *: 14 अगस्त 2015 तक की स्थिति।

चार्ट VII.1 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों का भारित औसत प्रतिफल (संचयी)

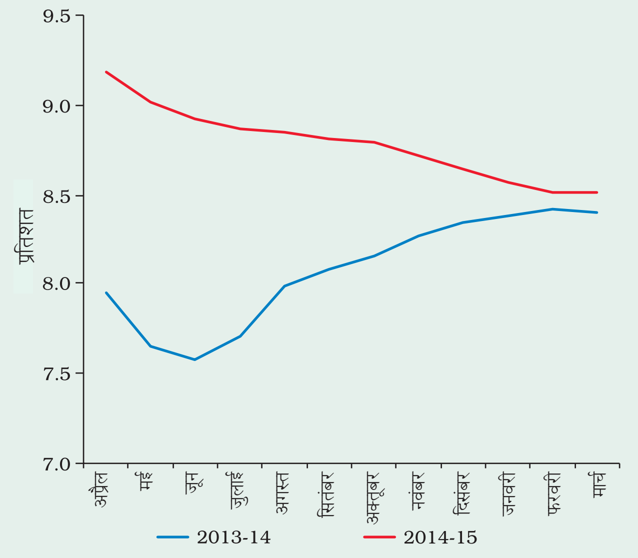

प्रोफाइल सहज बनाया जा सके और शोधन का दबाव कम किया जा सके। बाजार से ₹188 बिलियन की राशि अल्पावधि प्रतिभूतियों की पुनः खरीद की प्रक्रिया सितंबर 2014 में रिवर्स नीलामी के माध्यम से पूरी की गई और ₹88 बिलियन के स्विचेज का संचालन फरवरी 2015 में किया गया (सारणी VII.3) रिज़र्व बैंक के पोर्टफोलियो से ₹302 बिलियन की प्रतिभूतियों के कन्वर्शन का कार्य मार्च 2015 में किया गया। इन उपायों के माध्यम से रिज़र्व बैंक ने जहां बकाया ऋण की परिपक्वता अवधि को बढ़ाना सुनिश्चित किया, वहीं भारत सरकार के लिए रोलओवर जोखिम को कम किया है।

VII.8 वाणिज्यिक बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के प्रमुख निवेशक बने रहे, जो मार्च 2015 के अंत तक लगभग 43 प्रतिशत धारित किए हुए हैं, उसके बाद बीमा कंपनियों और भविष्य निधि कंपनियों की क्रमशः 21 प्रतिशत व 8 प्रतिशत धारिता थी। रिज़र्व बैंक की धारिता पिछले दो वर्ष के उच्च 16 प्रतिशत से काफी घटकर 14 प्रतिशत रह गई। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) जो हाल की अवधि में सक्रिय बाजार प्रतिभागी के रूप में उभरे हैं, का हिस्सा एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गया है।

VII.9 वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार का ट्रेजरी-बिल तथा दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाज़ार उधार ₹4779 बिलियन था, जो वर्ष 2013-14 से 6 प्रतिशत कम था। 2014-15 के अंत के आसपास ट्रेजरी-बिलों पर प्रतिफल भी ठीक था जो चलनिधि की सहज स्थिति को दर्शाता है। बाजार विकास कार्यनीति का अनुसरण जारी रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बाज़ार के सहभागियों और अन्य हितधारकों में नीलामी से संबंधित जानकारी को तेजी से और बड़े पैमाने पर पहुंचाना सुनिश्चित किया। ट्रेज़री-बिलों, एसडीएल तथा सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी के परिणामों को ई-कुबेर और एनडीएस-ओहम में प्रकाशित करने की प्रणाली को अपनाया

सारणी VII.2 : केंद्र सरकार का बाज़ार ऋण-स्वरूप #

(आय प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में परिपक्वता पर प्रतिफल की सीमा			वर्ष के दौरान के निर्गम			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत में)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की अवधि	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.80	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	5-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97
2013-14*	7.22-9.00	7.16-9.40	7.36-9.40	8.39	6-30	14.22	10.00	7.99
2014-15*	-	7.66-9.28	7.65-9.42	8.51	6-30	14.67	10.23	8.08

टिप्पणी: # : एमएसएस के अंतर्गत जारी निर्गम शामिल नहीं हैं;
*: मुद्रास्फीति से जुड़े बांडों तथा भारत सरकार की बाईबैक/स्विचेस वाली प्रतिभूतियों को छोड़कर।

सारणी VII.3: केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि बिलियन ₹ में)

अवशेष परिपक्वता	2012-13		2013-14		2014-15	
	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई -गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	470	8.42	110	1.95	-	-
5 -9.99 वर्ष	1,910	34.23	2,305	40.91	2,350	39.69
10-14.99 वर्ष	1,730	31.00	1,340	23.78	1,510	25.51
15-19.99 वर्ष	270	4.84	930	16.50	960	16.22
20 वर्ष और अधिक	1,200	21.51	950	16.86	1,100	18.58
कुल	**5,580**	**100.00**	**5,635**	**100.00**	**5,920**	**100.00**

गया था, साथ ही इन परिणामों को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।

नकदी प्रबंधन

VII.10 सरकार का राजकोषीय वर्ष लगभग ₹1284 बिलियन की नकदी के साथ प्रारंभ हुआ और नकदी की स्थिति मई 2014 के तीसरे सप्ताह तक सहज बनी हुई थी (चार्ट VII.2)। सरकार के खर्चों के फलस्वरूप नकदी राशि घट गई और सरकार ने पिछले वर्ष के 42 दिन की तुलना में इस वर्ष कुछ-कुछ अंतराल पर कुल मिलाकर 61 दिन अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लूएमए) की सुविधा ली। सरकार ने नवंबर 2014 में ₹100 बिलियन के नकदी प्रबंध बिल (सीएमबी) भी जारी किए।

चार्ट VII.2: भारत सरकार का नकदी शेष

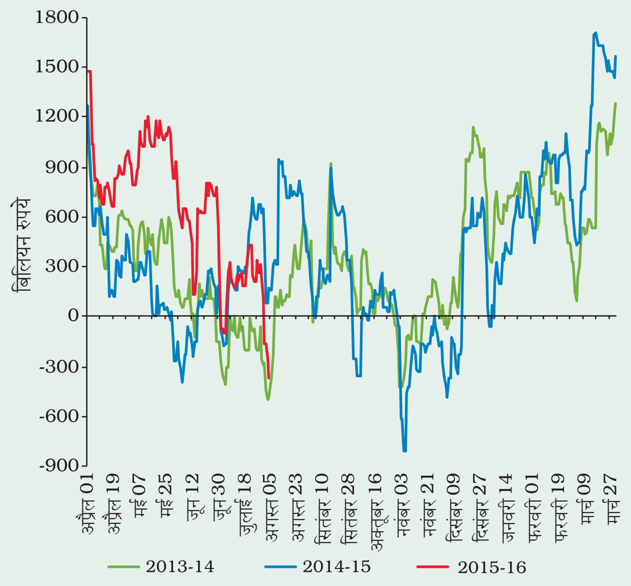

VII.11 16 दिसंबर, 2014 से रिज़र्व बैंक की संशोधित चलनिधि संरचना के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखी हुई सरकारी की नकदी की नीलामी परिवर्ती दर रेपो पर की जा रही है। नीलामी के लिए गणना की गई भारत सरकार के नकदी शेष की भरपाई बकाया परिवर्ती दर रेपो की भारित औसत दर पर की जाती है। सरकार का राजकोषीय वर्ष के अंत में नकदी शेष ₹1573 बिलियन था।

VII.12 केंद्र सरकार के लिए वर्ष 2014-15 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) और दूसरी छमाही (अक्तूबर-मार्च) हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए) क्रमशः ₹350 बिलियन और ₹200 बिलियन निर्धारित किया गया था। वर्ष 2015-16 की पहली छमाही के लिए डब्ल्यूएमए सीमा को बढ़ाकर ₹450 बिलियन कर दिया गया है।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

बाजार उधारियां

VII.13 रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत तेलंगाना सरकार के साथ उनकी नकदी और ऋण प्रबंधन के कार्यों को संचालित करने के लिए 2 जून, 2014 से प्रभावी एक करार किया है। इसके साथ ही रिज़र्व बैंक अब सभी 29 राज्यों और पुदुचेरि संघशासित क्षेत्र (यूटी) का ऋण प्रबंधक बन गया है। 2014-15 में बाजार उधार कार्यक्रम में सभी ने भाग लिया जिससे निवल उधार में 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

VII.14 बाज़ार से अधिक उधार के बावजूद, वर्ष के दौरान जारी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पिछले वर्ष के 9.18 से घटकर 8.58 रह गई है। इसके साथ साथ भारित औसत स्प्रेड भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तुलनायोग्य परिपक्वताओं की तुलना में काफी घटकर 38 आधार अंक रह गया जबकि पिछले वर्ष यह 75 आधार अंक था।

राज्य सरकारों का नकदी प्रबंधन

VII.15 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक 1937 से राज्य सरकारों को उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए डब्लूएमए प्रदान करता रहा है। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के हैं, जैसे (i) साधारण आर्थोपाय अग्रिम या बिना शर्त के अग्रिम, और (ii) विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एसडब्लूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (एसडब्लूएमए) अथवा सुरक्षित अग्रिम (राज्य सरकार के साथ किए गए करार में संशोधन करते हुए एसडब्ल्यूएमए का नाम जून 2014 में बदलकर विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) कर दिया गया है)। ओवरड्राफ्ट की स्थिति तब पैदा होती है जब रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को दिया गया ऋण एसडीएफ और डब्ल्यूएमए की सीमा से अधिक होता है।

VII.16 संघ शासित राज्य पुदुच्चेरि सहित राज्यों के कुल अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) में नवंबर 2013 को 50 प्रतिशत की वृद्धि करके ₹154 बिलियन किया गया था जिसे 2014-15 में भी जारी रखा गया है। राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए और ओडी का मासिक औसत उपयोग 2014-15 में अधिक रहा, जबकि डब्ल्यूएमए का सहारा लेने वाले राज्यों की संख्या अपरिवर्तित अर्थात 12 रही है। एसडीएफ का सहारा लेने राज्यों की संख्या 2013-14 के 12 राज्यों की तुलना में बढ़कर 14 हो गई है। 2014-15 में ओडी लेने वाले राज्यों की 10 संख्या रही जबकि 2013-14 में यह संख्या 8 थी।

VII.17 हाल ही में, रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी बैंकिंग कारोबार से संबंधित की गई नई पहल से राज्य सरकारों के नकदी प्रबंधन की कार्यक्षमता बढ़ने की संभावना है (बॉक्स VII.1)।

सारणी VII.4 : राज्यों की बाजार उधारियां

(₹ बिलियन)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16@
1	2	3	4	5
निवल आबंटन	1,881	2,185	2,365	उन
सकल आबंटन	2,187	2,506	2,564	उन
वर्ष दौरान जुटाई गई सकल राशि	1,772	1,967	2,408	824
वर्ष दौरान जुटाई गई निवल राशि	1,467	1,646	2,075	720
भारित औसत प्रतिफल (%)	8.84	9.18	8.58	8.22
भारित औसत स्प्रेड (आधार अंक)	71	75	38	34
बकाया एसडीएल (अवधि के अंत में)	9,291	10,619	12,755	13,474

@: 12 अगस्त 2015 की स्थिति के अनुसार।

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) में निवेश

VII.18 राज्य सरकारों के फंड मैनेजर के रूप में, रिज़र्व बैंक उनकी समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) का रखरखाव कर रहा है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिए गए अधिदेश के अनुसार एसडीएल और अन्य उच्च लाभ देने वाली प्रतिभूतियों (उदाहरण के लिए ट्रेज़री बिल) में निवेश करना शुरू कर दिया है। सीएसएफ और जीआरएफ में बकाया निवेश मार्च 2015 के अंत में ₹703 बिलियन रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत वृद्धि है। राज्य सरकार के वित्त विभाग के पदाधिकारियों में जागरुकता पैदा करने के अपने प्रयास में बैंक ने त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, ओड़िशा और उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में क्षमता बढ़ाने से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VII.19 केंद्र सरकार के बजट 2015-16 में वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्र की निवल बाजार उधारियों में मामूली वृद्धि होने का पूर्वानुमान किया गया है। समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार के

बॉक्स VII.1
सरकारी बैंकिंग में की गई नई पहल

सरकारी बैंकिंग कारोबार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए, फ्रांस और रूस में यह कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है जबकि यूके और आस्ट्रेलिया में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। भुगतान संसाधन का कार्य फ्रांस और रूस में केंद्रीकृत है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में केंद्रीकृत नहीं है। इस संबंध में, बड़े देश अर्थात अमरीका, चीन और भारत ने स्वरूप और लेनदेन के प्रकार के आधार पर मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया है (चार्ट 1)।

सरकारी बैंकिंग सेवाओं में कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए की गई पहल के रूप में, रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की ई-प्राप्तियों/ई-लेनदेनों की प्रक्रिया/डाटा संरचना में एकरूपता और मानकीकरण करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया था। समूह ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 2014 में प्रस्तुत की। रिपोर्ट की सिफारिशों में सभी राज्यों के लिए एक व्यापक समान मॉडल को अपनाने और रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा, ई-कुबेर के साथ जोड़ने पर जोर दिया गया है। मई 2015 में रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित राज्य वित्त सचिव सम्मेलन में की गई चर्चा के अनुसार पूरे भारत में रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया था, तदनुसार, एक कार्यदल इसकी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए गठित किया गया है। आज की तारीख तक 15 राज्यों ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है और कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर हैं। शेष बचे राज्यों को इसके अंतर्गत लाने हेतु प्रयास किए जा रें हैं।

ई-प्रति और ई-भुगतान की सुविधा ई-कुबेर में प्रदान की गई है ताकि बेहतर परिचालनगत कुशलता एवं सरकारों के बेहतर निधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान की जा सके। ई-प्राप्ति प्रणाली में एजेन्सी बैंक के जरिए राजस्व संग्रह, रिज़र्व

चार्ट 1: सरकारी बैंकिंग कारोबार की अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं

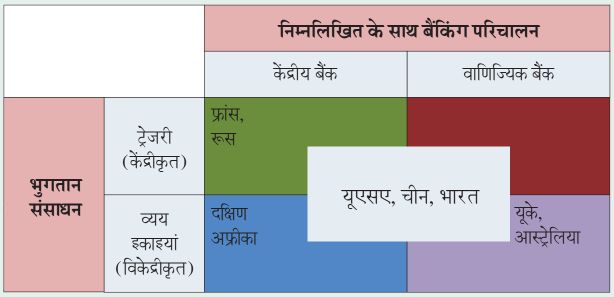

स्रोत: पेसोआ और विलियम्स (2012) पर आधारित

बैंक को सूचनाओं का प्रवाह और संबंधित राज्य सरकार के खाते में निधि का अंतिम अंतरण की सुविधा प्रदान की गई है। यह प्रणाली किसी प्रकार के पुनर्मिलान के बिना तेजी से कार्य करती है। राज्य के राजस्व संग्रह में सहभागी एजेन्सी बैंक को आईएसओ 20022 प्रारूप फाइल में दैनिक प्राप्तियों का विवरण तैयार करना होता है और उसे ई-कुबेर पोर्टल, जिसका उपयोग बैंक, रिज़र्व बैंक के साथ अपने इंटरफ्रेस करने में करते है, पर अपलोड करना होता है। फाइल का संसाधन करने के बाद सभी संबंधित सूचनाओं के साथ ई-स्क्रॉल को स्ट्रेट-थ्रू-प्रॉससिंग (एसटीपी) तरीके से राज्य सरकारों को इलेक्ट्रानिक रूप में भेजा जाता है। केंद्र सरकार के लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-कुबेर के इंटरफ्रेस की सुविधा एसटीपी आधार पर अंतर-सरकारी लेनदेन के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों को प्रदान कर दी गई है।

जिन राज्यों में केंद्रीकृत ट्रेज़री प्रणाली है, वहां उसकी आईटी प्रणाली को ई-कुबेर के साथ जोड़ने का कार्य किया जाएगा और सरकार द्वारा किए गए भुगतान का विवरण किसी प्रकार के मैनुअल हस्तक्षेप के बिना भुगतान करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली को सीधे प्राप्त, संसाधित और अंतरित किया जाएगा। लेनदेन-वार-ई-स्क्रॉल विधिवत भुगतान की स्थिति (सफल अथवा वापसी) का उल्लेखत करते हुए उसी दिन भेजा जाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी प्रकार के भुगतान सही तरह से संसाधित किए गए हैं और किसी प्रकार के विलंब के बिना लाभार्थी को प्राप्त हो गए हैं।

प्रौद्योगिकी विकास का अधिकतम लाभ लेने के लिए कारोबार प्रक्रिया, रिइंजीनियरिंग पर एक कार्य समूह गठित किया गया है जिसमें सरकारी एजेन्सी, बैंक और रिज़र्व बैंक होंगे। यह समूह सरकारी कारोबार, संबंधित संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग ढांचे के लिए कार्यप्रवाह, प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करेगा। इस संबंध में समूह से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2015 तक प्रस्तुत करे। इस प्रकार के प्रयासों से आने वाले वर्षों में सरकारों के नकदी प्रबंधन सहित सरकारों की बैंकिंग व्यवस्था काफी बेहतर होगी।

संदर्भ :

पेसोआ, एम. और एम. विलियम्स (2012), सरकारी नकदी प्रबंधनः ट्रेज़री और केंद्र सरकार, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के बीच संबंध।

पटनायक, एस. और आई. फैंबोइम (2011), ट्रेज़री एकल खाता : सरकारी नकदी प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति के लिए एक आवश्यक टूल।

संकेत और मुद्रास्फीतिकारी दबाओं में कमी के चलते बाजार उधार कार्यक्रम उधारी लागत को कम करते हुए समुचित ढंग से पूरा होने की आशा है।

VII.20 2015-16 के दौरान अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के समान भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके एक मध्यवर्ती ऋण प्रबंधन रणनीति जनता के बीच रखी जाएगी। भारत सरकार के

परिपक्वता प्रोफाइल को प्रबंधित करने और रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए यह योजना बनाई गई है कि 2015-16 की दूसरी छमाही से खरीद वापसी और स्विचेस निर्गम के नियमित कैलेंडर का भाग होगा। अपेक्षाकृत सपाट प्रतिफल वक्र को ध्यान में रहते हुए बीमा कंपनियों और पेंशन फंड जैसे दीर्घकालिक निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए 2015-16 के दौरान एक 40 वर्षीय प्रतिभूति जारी करने का प्रस्ताव है।

VII.21 राज्य सरकार की बाजार उधारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 में वृद्धि की गई है। बाजार उधारियों के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए सभी राज्यों को वर्ष 2015-16 से लागू निर्गम के तिमाही कैलेंडर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और इस प्रकार का पहला कैलेंडर 2015-16 की दूसरी तिमाही में घोषित किया गया है। राज्यों को भी यह सूचित किया गया है कि वे अपने राज्यों में निवेशकों को सक्रिय रूप से शामिल करें ताकि निवेशक आधार को बढ़ाया जा सके।

VII.22 राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्षः श्री सुमित बोस) की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है और इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

VII.23 रिज़र्व बैंक रीटेल निवेशकों को आसान और बढ़ी हुई पहुंच उपलब्ध कराना जारी रखेगा। इसी के भाग के रूप में, सभी मिड-सेगमेंट और गिल्ट खाते रखने वाले रीटेल निवेशकों को भाग लेने के लिए ई-कुबेर प्लेटफार्म पर एक वेब-आधारित समाधान लागू किया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूति बाजार को और अधिक विकसित करने हेतु प्राथमिक व्यापारी (पीडी) द्वारा चुनिंदा अल्प चलनिधि वाली प्रतिभूतियों में बाजार विकसित करने की योजना लागू की जाएगी। रीटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा मौजूदा समय में मात्र ट्रेज़री बिलों के अलावा दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों पर लागू है। ट्रेज़री बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया-सुविधा वैयक्तिकों को भी प्रदान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन बढ़ाने के लिए सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) से डीमैट रूप में और इसके विपरीत भी प्रतिभूतियों में बिना किसी रुकावट के लगातार लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऋण बाजार में इस प्रकार के प्रवाह से संबंधित जोखिम और लाभ को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के आकार और विस्तार संबंधी ढांचे को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कार्य करेगा।

VII.24 रिज़र्व बैंक लोक ऋण प्रबंध एजेन्सी (पीडीएमए) की स्थापना के लिए शुरुआती प्रक्रिया में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा।